

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (15)लेखा /आकाशि /मे.छा.स्कूटी/ 2015-16 / 197

दिनांक 04-06-2015

मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015

1— योजना का उद्देश्य :—

राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना है।

2— नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :—

- (1) इस योजना का नाम मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015 होगा।
- (2) यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी होगी।
- (3) यह योजना 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होगी तथा वर्ष 2015-16 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होगी।

3— परिभाषाएँ :—

- (1) राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
- (2) विभाग से तात्पर्य आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से है।
- (3) सचिव से तात्पर्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान से है।
- (4) आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, विभाग राजस्थान से है।
- (5) प्राचार्यों से तात्पर्य राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों/ राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों (पास, ऑनर्स एवं तकनीकी कोर्स) के प्राचार्य से है।
- (6) विभागाध्यक्ष से तात्पर्य राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के समस्त संकाय विभागों के अध्यक्ष से है।
- (7) स्नातक डिग्री से तात्पर्य पास, ऑनर्स एवं तकनीकी कोर्स की डिग्री से है।
- (8) मूल निवासी से तात्पर्य वह छात्रा जिसका जन्म राजस्थान राज्य में हुआ है तथा छात्रा के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो।

4— योजना के अन्तर्गत देय लाभ (स्कूटी वितरण) :—

राजस्थान मूल की वे छात्राएँ जिन्होंने राजकीय विद्यालय से 9वीं से 12वीं तक अध्ययन पूरा कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको जिलेवार वरीयतानुसार कुल 1650 (प्रत्येक जिले में 50 स्कूटी) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी।

2

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा 12वीं कक्षा का संकायवार परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् वे छात्राएँ जिनके 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं उनकी जिलेवार प्रथम 100 छात्राओं की सूची आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान को उपलब्ध करवाई जावेगी।

यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण/सही प्राप्त नहीं होते हैं, तो जितने आवेदन कम प्राप्त होंगे उतनी स्कूटी वरीयता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी।

यह व्यवस्था वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होकर आगामी आदेश तक चालू रहेगी।

स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।

नोट:-

- 1— छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से तीन वर्ष तक विक्रय/बेचान नहीं किया जा सकेगा।
- 2— वर्तमान में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में तथा विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत स्कूटी वितरण की योजनाएँ पृथक से संचालित की जा रही हैं। अतः उपरोक्त दोनो वर्ग की छात्राएँ इस योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगी।
- 5— पात्रता :— छात्रा द्वारा पात्रता की निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा :—
 - (1) योजना का लाभ उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जिन्होंने—
 - (A)— 9वीं से 12वीं कक्षा तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत् रहकर उत्तीर्ण की हो।
 - (B)— माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण की हो।
 - (C)— राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों/ राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो।
 - (2) छात्रा के माता — पिता/अभिभावक/संरक्षक/ पति आयकरदाता नहीं हो।
 - (3) योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा।
 - (4) जिन छात्राओं को अन्य छात्रवृति/आर्थिक सहायता मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी देय नहीं है। यदि वे इस योजना में लाभ नहीं ले पाती हैं तो वे अन्य योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

(5) स्कूटी हेतु 12वीं कक्षा व नियमित स्नातक प्रथम वर्ष में अन्तराल (गेप) होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा ।

6— आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज़ :-

- (1) संबंधित छात्रा द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत् रहकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- (2) 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की स्व—प्रमाणित फोटो प्रति ।
- (3) राजकीय महाविद्यालयों / राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की स्व—प्रमाणित फोटो प्रति ।
- (4) मूल निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की स्व—प्रमाणित फोटो प्रति ।
- (5) छात्रा के माता—पिता / पति, अभिभावक / संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत स्व—प्रमाणित शपथ पत्र ।
- (6) आधार कार्ड की सत्यापित प्रति ।
- (7) इस आशय का शपथ पत्र की छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति / योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है ।

7— आवेदन प्रक्रिया :-

- (1) मेधावी छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्णतया: भरकर एवं स्वयं का फोटो चर्चा कर वांछित दस्तावेजों के साथ अध्ययनरत महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा । आवेदन पत्र कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।
- (2) प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जाँच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, पता अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में निर्धारित तिथि तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ।

8— भुगतान प्रक्रिया :-

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में प्राचार्यों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच कर राजकीय महाविद्यालयों / राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत छात्राओं की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार जिलेवार वरीयता सूची (प्रथम 50 छात्राओं को) बनाकर कुल 1650 (एक हजार छ: सौ पचास) छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत कर वितरित की जावेगी ।

9— बजट प्रावधान :-

योजना के लागू किये जाने हेतु वित्त विभाग बजट आवंटन तथा बजट मद आयोजना मद

2202— सामान्य शिक्षा

- 03— विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा
- 103— राजकीय कॉलेज तथा संस्थान
- 03— राजकीय महाविद्यालयों में मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण
- 13— छात्रवृत्ति और वृत्तिका

खोला जाकर वर्ष 2015–16 में 700.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत कर आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेंगे।

10— आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ :-

आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता—पिता/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा तथा विवाहित छात्रा के लिए पति एवं स्वयं छात्रा, विधवा एवं परित्यक्ता छात्रा की स्थिति में संरक्षक/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा की आय को सम्मिलित किया जावेंगा।

- (1) वेतन भोगी कर्मचारी अपनी गत वर्ष की आयकर विभाग द्वारा जारी इन्कम टैक्स रिटर्न की स्व—प्रमाणित प्रति संलग्न करें। इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नियोक्ता से आयकरदाता नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। वेतन भोगी कार्मिकों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार /इनके बोर्ड/कोर्पोरेशन, बैंक, एल.आई.सी.कम्पनी तथा फैक्ट्रीज में नियोजित कार्मिक सम्मिलित है।
- (2) पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें साथ ही पेंशन एवं मंहगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
- (3) वेतन/पेंशन भोगी कर्मचारियों के अलावा जो आयकरदाता नहीं है, सभी को 10/- रुपये के नॉन—ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर आयकरदाता नहीं होने का शपथ पत्र प्रमाणित कर देना होगा। शपथ पत्र पर आय संबंधी कपोल—कल्पित सूचना देने पर विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित छात्रा/उसके माता—पिता/अभिभावक / संरक्षक/पति (जो भी लागू हो) की होगी।

11— नियमों का विनिर्णय :-

इन नियमों की व्याख्या शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा की जावेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा।


4/6
(श्रवण साहनी)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा विभाग, राज., जयपुर

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ 23 (15)लेखा/आकाशि/मे.छा.स्कूटी/2015-16/ 1029 दिनांक :— 13/4/2016

परिपत्र

मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015 के बिन्दु संख्या 5(2) एंवं नियमों में
उल्लेखित “आयकरदाता नहीं हो” के स्थान पर “सकल वार्षिक आय 2.50 लाख”
प्रतिस्थापित की जाती है।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101600817 दिनांक 24.02.2016
द्वारा प्रदान की गई है।


(अनूप खींची)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा
एंव पदेन संयुक्त शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23 (15)लेखा/आकाशि/मे.छा.स्कूटी/2015-16/ 1030-37 दिनांक :— 13/4/16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला नोडल अधिकारी।
8. प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।


(मधु सिंह ज्यारण)
मुख्य लेखाधिकारी

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / लेखा / डी--२ / २८०१३ / १७-१८

दिनांक: १६.११.२०१७

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा-प्रथम

M O L T - U R G E M E N T

विषय:- बजट घोषणा संख्या १५५ वित्तीय वर्ष २०१७-१८ की क्रियान्विति
हेतु आर्थिक पिछळा वर्ग की मेघावी छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण
योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने बाबत ।

प्रसंग :- शासन उपसचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-१) विभाग, राज०, जयपुर का
पत्रांक प.१ (४) शिक्षा-१ / २०१७ दिनांक १५.१०.२०१७

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि संलग्न स्कूटी वितरण कार्य योजना के जारी दिशा-निर्देशों की पालना में सरकारी/निजी शाला प्रधानों से पात्र छात्राओं के आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् चयनित छात्राओं की सूची दिनांक ०५.११.२०१७ से पूर्व अद्योहस्ताक्षरकर्ता को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें ।

नोट:- ई-मेल द्वारा भेजी गई सूची मान्य नहीं होगी ।

०५.११.२०१७
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

**आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (सरकारी/निजी विद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक वर्ष 2016-17 की
कक्षा-10, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, वाणिज्य, विज्ञान) व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक
प्राप्त करने वाली छात्राओं हेतु**

आवेदन पत्र :

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 30.11.2017 स्थान:- विद्यालय जहां से सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है।

1. छात्रा का नाम.....
 2. पिता/पति का नाम.....
 3. जन्मतिथि.....
(सैकण्ड्री परीक्षा प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
 4. जाति.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
 5. निवास का पता.....
- शाला-प्रधान
द्वारा छात्रा की
सत्यापित फोटो
मय सील
-जिला.....राज्य.....
फोन (एस.टी.डी. कोड).....फोन नं.मोबाईल नं.
6. मूल निवास स्थान.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
 7. आधार कार्ड नं/ E.I.D. No. (स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
 8. भासाशाह कार्ड नं/ E.I.D. No. (स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
 9. माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक का व्यवसाय.....
 10. छात्र के माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक की वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल वार्षिक आय
(मूल आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें जो छ: माह से अधिक पुराना नहीं हो तथा सकल वार्षिक आय राशि रूपये 2,50,000/- से कम हो।)
 11. क्या छात्रा द्वारा बजट घोषणा संख्या 155.1के अन्तर्गत एकमुश्त राशि रूपये 15000/- एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है। यदि नहीं तो बजट घोषणा संख्या 155.5के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त करने हेतु स्व-हस्ताक्षरित शपथ-पत्र संलग्न करें।
 12. परीक्षा से सम्बन्धित विवरण :

कक्षा/संकाय का नाम	परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	राजकीय/निजी विद्यालय का नाम (जहां अध्ययन किया गया)
कक्षा-10	2016-17			
प्रवेशिका	2016-17			
कक्षा-12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य)	2016-17			
वरिष्ठ उपाध्याय	2016-17			

13. छात्रा द्वारा वितरित स्कूटी के रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क के भुगतान को स्वयं के स्तर पर करने के सम्बन्ध में स्व-हस्ताक्षरित शपथ पत्र संलग्न करें।

14- प्रमाण-पत्र : (छात्रा का नाम) प्रमाणित करती हूँ कि बिन्दु संख्या 01 से 13 में अंकित की गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतः सही व सत्य हैं। यदि प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना/तथ्य असत्य पाये गये तो मैं रकूटी की लागत राशि वापिस राजकोष में जमा करवाने का वचन देती हूँ।
दिनांक:

छात्रा के हस्ताक्षर

संलग्नक :

क्रम संख्या	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	हाँ/नहीं अंकित करें
1	उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण-पत्र व अंक तालिका की स्व-प्रमाणित प्रति	
2	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
3	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
4	आधार-कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति	
5	भागीशाह कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति	
6	सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में (समस्त श्लोतों) राशि रूपये 2,50,000 से कम वार्षिक आय के सम्बन्ध में छात्रा के माता-पिता/पति/अभियावक/संरक्षक की आय के आधार पर जारी आय-प्रमाण पत्र। (आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक की अवधि का नहीं होना चाहिये।)	
7	छात्रा द्वारा बजट घोषणा सख्ता 155.01 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं करने वाले द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ पत्र	
8	छात्रा द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2017-18 में किसी अन्य घोषणा के अन्तर्गत रकूटी प्राप्त नहीं करने के अन्तर्गत स्व-प्रमाणित शपथ पत्र	
9	छात्रा द्वारा रकूटी के रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क के सहमति के सम्बन्ध में स्व हस्ताक्षरित शपथ पत्र	

छात्रा के हस्ताक्षर

(राजकीय व निजी विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा पुत्री ने शैक्षणिक वर्ष 2016-17 में शाला के अभिलेख अनुसार कक्षा में अध्ययनरत रहकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम
को प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 04.12.2017

हस्ताक्षर शाला/संस्था प्रधान
मय सील

२४
१

1666

राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप-1)विभाग

कमांक-प. 1(ध)शिक्षा-1/2017

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राजो बीकानेर।

✓ F.A. (DDC Plan)

०६-११-१७

जयपुर, दिनांक 16/10/2017

D-2

7.11.17

विषय:- मा. मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.04.0 की क्रियान्विति अन्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण योजना के दिशा-निर्देश बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मा. मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.04.0 की क्रियान्विति अन्तर्गत "राज्य के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राएं जिनकी समरत स्त्रोतों से पारिवारिक आय 2 लाख 50 हजार रुपये वार्षिक से कम है" जिनके लिए स्कूटी वितरण योजना के दिशा-निर्देश संलग्न कर लेख है कि योजना की क्रियान्विति हेतु पृथक से बजट मद खुलवाया जाकर स्कूटी क्रय प्रक्रिया हेतु प्राप्त दरों के अनुसार आवश्यक राशि के लिए बजट प्रावधान कराने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राम स्वरूप झालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा।
- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त सचिव आयोजना, (जनशक्ति) विभाग
- उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग
- निदेशक, संरकृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
- शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2, 6)विभाग।
- सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजगर।
- रक्षित पत्रावली।

(डॉ. राजवीर सिंह)
उपनिदेशक (मूल्या)

**आर्थिक पिछड़ा वर्ग की सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु
स्कूटी वितरण योजना के दिशा-निर्देश**

1—योजना का नाम :- आर्थिक पिछड़ा वर्ग की सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण योजना

2—योजना :- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में प्रत्येक संवर्ग (विज्ञान, वाणिज्य, कला) की घोषित परिणाम में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रथम 100-100 छात्राओं को वरीयतानुसार स्कूटी तथा प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे।

3—पात्रता :-

- i. छात्रा आर्थिक पिछड़े सामान्य वर्ग से होनी चाहिए।
- ii. छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 250000/- (दो लाख पचास हजार रु) से कम हो।
- iii. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की दसवीं बारहवीं (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला) प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में 90 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा ही पात्र होगी।
- iv. अन्तिम वरीयता अंक पर एक से अधिक छात्रा होने की स्थिति में क्रमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी में अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा पात्र होगी। यदि इन दोनों विषयों में भी अंक समान होते हैं तो अधिक उम्र वाली छात्रा पात्र होगी।
- v. माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 के अन्तर्गत पात्र छात्राएँ जिन्होंने एकमुश्त 15000/- रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है, तो छात्राएँ बजट घोषणा 155.0.0 तथा 155.04 में से किसी एक योजना के ब्यान का विकल्प दे सकेंगी।
- vi. यदि छात्रा को अन्य किसी योजना में स्कूटी का लाभ दिया जा रहा है, वे छात्राएँ भी योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगी।
- vii. योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थियों को अन्य योजनाओं (यथा—साईकिल/ट्रांसपोर्ट वाहन एवं लैपटॉप आदि योजनाओं में पात्र होने पर) का लाभ भी देय होगा।
- viii. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं बारहवीं एवं प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में घोषित परिणाम में वरीयतानुसार स्थान प्राप्त करने वाले पात्र छात्राओं की संख्या निम्नानुसार होगी :—

(अ) कक्षा दसवीं की पात्र छात्राएँ :

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	छात्राओं की संख्या
1	माध्यमिक परीक्षा	98
2	प्रवेशिका परीक्षा	02
	कुल	100

(ब) कक्षा बाहरवीं की पात्र छात्राएँ :

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	छात्राओं की संख्या
1	विज्ञान संवर्ग के	98
2	वाणिज्य संवर्ग के	98
3	कला संवर्ग के	98
4	वरिष्ठ उपाध्याय	06
	कुल	300

4- देय लाभ :-

- iii. योजना के तहत वरीयता सूची में आने वाली समस्त पात्र छात्राओं को स्कूटी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जावेगे।
- iv. स्कूटी का रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क का वहन संबंधित छात्र द्वारा ही किया जायेगा तथा पंजीकरण/नाम परिवर्तन कराकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित विद्यालय में जमा करानी होगी।

5-पात्र छात्राओं की चयन प्रक्रिया :-

- i. प्रत्येक परीक्षा/संघर्ष श्रेणी में वितरित की जानी वाली स्कूटियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार छात्राओं की सूची राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की जावेगी।
- ii. इन छात्राओं से स्कूटी हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेगे, छात्राओं द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्ति कर समस्त वाहित दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जावेगा।
- iii. छात्राओं द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों को संबंधित संस्था प्रधान द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जाँच कर आवेदन पत्रों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम को जमा कराये जावेगे।
- iv. आवेदन पत्र के साथ छात्र द्वारा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सलग्न की जावेगी।
- v. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम द्वारा जिलों में पात्र छात्राओं की सूची वरीयतानुसार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भिजवाई जावेगी।
- vi. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा पात्र छात्राओं में से वरीयतानुसार अन्तिम सूची तैयार की जावेगी।

7-स्कूटी क्रय एवं वितरण :-

- i. राज्य स्तर पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर एवं जिला स्तर पर स्कूटी वितरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे।
- ii. राज्य सरकार द्वारा गठित क्रय समिति की सिफारिशों के आधार पर क्रय की कार्यवाही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा की जावेगी।
- iii. जिले की पात्र छात्राओं को स्कूटी एवं प्रशस्ति पत्र वितरण की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम के माध्यम से की जावेगी।
- iv. स्कूटी आपूर्ति हेतु चयनित एजेन्सी द्वारा स्कूटी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निर्देशानुसार जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम को उपलब्ध करवायी जावेगी।
- v. स्कूटी प्राप्ति से वितरण तक स्कूटी की सुरक्षा हेतु संबंधित नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- vi. संबंधित नोडल अधिकारी पात्रता सुनिश्चित कर वार्तविक छात्रा को ही स्कूटी वितरित कर प्राप्ति रसीद राज्य नोडल अधिकारी उपलब्ध करवायी जावेगी।

8-भुगतान की प्रक्रिया एवं पर्यवेक्षण -

- i. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा स्कूटी आपूर्ति हेतु चयनित एजेन्सी को नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
- ii. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा वितरण प्रक्रिया का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जावेगा।

9- समारोह आयोजन समिति का गठन:-

आर्थिक पिछड़ा वर्ग की सामान्य वर्ग की पात्र चयनित मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी का वितरण जिला स्तरीय समारोह में किया जावेगा। प्रत्येक जिला स्तरीय समारोह के आयोजन पर अधिकतम 10,000 रुपये व्यय किये जा सकेंगे। उक्त राशि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा देय होगी। समारोह स्थल का निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा। जिला स्तरीय स्कूटी वितरण समारोह स्थल की सुरक्षा, छात्राओं / अभिभावकों / उपस्थित नागरिकों के बैठने एवं जल की माकूल व्यवस्था करने हेतु निमानुसार समिति का गठन किया जावेगा:-

क्र0 सं0	अधिकारी का पद नाम	समिति में पद
1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत 01 प्रशासनिक अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से नीचे का स्तर का न हो)	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम	सदस्य
4	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय	सदस्य
5	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम	सदस्य-सचिव

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम जयपुर

क्रमांक: जिशिअ / जय / माध्य / प्रथम / शै.प्र. / फा-स्कूटीवितरण / 2017 4870

दिनांक: 24.11.2017

समस्म संस्था प्रधान,
राउमावि / रामावि (छात्र / छात्रा).....
गैर राजकीय उमावि / मावि

संस्कृत विद्यालय

विषय:- मा. मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा की बजट घोषणा संख्या

155.04.0 की क्रियान्विति अन्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण योजनान्तर्गत आवेदन करने के दिशा निर्देश ।

प्रसंग:- प.1(4)शिक्ष-1 / 2017 जयपुर दिनांक 16.10.2017 एवं निदेशालय के पत्रांक शिविरा / माध्य / लेखा / डी-2 / 28013 / 17-18 दिनांक 16.11.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.04.0 की क्रियान्विति अन्तर्गत राज्य के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राएं जिनकी समस्त स्त्रोतों से पारिवारिक आय 2.50 लाख (अक्षरे दो लाख पचास हजार मात्र) से कम है जिनके लिए स्कूटी वितरण योजना सरकारी एवं निजी विद्यालयों की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवी एवं बारहवी की परीक्षा 2017 के परिणाम में प्रत्येक वर्ग (विज्ञान, वाणिज्य, कला) की घोषित परिणाम में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रथम 100-100 छात्राओं को वरीयताक्रमानुसार स्कूटी तथा प्रशस्ति पत्र दिये जावेंगे इस हेतु निम्नानुसार पात्रता होगी ।

1. छात्रा आर्थिक पिछड़े सामान्य वर्ग से होनी चाहिए ।
2. छात्रा के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 250000/- (दो लाख पचास हजार रु) से कम हो ।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की दसवीं, बारहवीं (विज्ञान, वाणिज्य, कला) प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 90 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा ही पात्र होगी ।
4. अन्तिम वरीयता अंक पर एक से अधिक छात्रा होने की स्थिति में कमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी में अंक प्राप्त करने वाली छात्रा पात्र होगी । यदि इन दोनो विषयों में भी अंक समान होते हैं तो अधिक उम्र वाली छात्रा पात्र होगी ।
5. माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 के अन्तर्गत पात्र छात्राएं जिन्होंने एकमुश्त 15000/- रूपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है, तो छात्राएं बजट घोषणा 155.0.0 तथा 155.04 में से किसी एक योजना में चयन का विकल्प दे सकेंगी ।
6. यदि छात्रा का अन्य किसी योजना में स्कूटी का लाभ दिया जा रहा है, वे छात्राएं भी इस योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगी ।
7. योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थियों को अन्य योजनाओं (यथा साईकिल/ट्रांसपोर्ट वाउचर एवं लैपटॉप आदि योजनाओं में पात्र होने पर) का लाभ देय होगा ।
8. योजना के तहत वरीयता सूची में आने वाली समस्त पात्र छात्राओं को स्कूटी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जावेंगे ।
9. स्कूटी की रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क का बहन संबंधित छात्रा द्वारा ही किया जावेगा तथा पंजीकरण/नाम परिवर्तन कराकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित विद्यालय में जमा करानी होगी ।

१०७

10. प्रत्येक परीक्षा / संवर्ग श्रेणी में वितरित की जानी वाली स्कूटियों की सख्त्या के आधार पर आवश्यकतानुसार छात्राओं की सूची राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की जावेगी ।
11. इन पात्र छात्राओं से स्कूटी हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेगे छात्राओं द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र (संलग्न आवेदन पत्र) की पूर्ति कर समस्त वांछित दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जावेगा ।
12. छात्राओं द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा योजना के दिशा निर्देशों के परिपेक्ष्य में जाँच कर आवेदन पत्रों को जिलाशिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयपुर प्रथम जयपुर दिनांक 01.12.2017 तक आवश्यक रूप से जमा कराना होगा इस के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी ।
13. आवेदन पत्र के साथ छात्रा द्वारा स्वयं का आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जावेगी ।
14. आर्थिक पिछड़ा वर्ग की सामान्य वर्ग की पात्र चयनित मेघावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी का वितरण जिला स्तरीय समारोह में किया जावेगा ।


अतः सभी संस्था प्रधानों का निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्न सूचीयों में से अपने विद्यालय की कक्षा 10 वीं 12 (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला) की छात्राओं के आवेदन (संलग्न आवेदन पत्र) छात्र से दिशा निर्देशों के अनसार वांछित दस्तावेजों के पूर्ति करवाकर आवेदन पत्र की पूर्ण बारिकी से जाँच कर दिनांक 01.12.2017 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रस्तुत करावें ।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे की कोई भी पात्र छात्रा इस लाभ से वंचित न रहे ।


जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
जयपुर प्रथम जयपुर ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
2. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर संभाग जयपुर
3. रक्षित पत्रावली ।


जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
जयपुर प्रथम जयपुर ।

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक:—एफ.3(ए)(37)शिक्षा/सीटीएडी/19-20/३८५८०-५३८

दिनांक ११/१०/१९

आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में जारी शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं के परिपत्र कंमाक 18470-80 दि. 27.06.2017 की निरन्तरता में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना में राजस्थान के मूल जनजाति छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2019-20) लिंक पर आवेदन विद्यार्थियों के द्वारा योजना के पेपरलेस हेतु ऑनलाईन पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए अन्तिम दिनांक 31.10.2019 तक आंमत्रित किये जाते हैं, निःशुल्क स्कूटी योजना 2019-20 में पेपरलेस ऑन लाईन आवेदन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एंव विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश —

1. राज्य में स्थित शिक्षण—संस्थाओं द्वारा www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2019-20) लिंक कर एस.एस.ओ (single sign on) आई.डी के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाईल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैपिंग आदि कर इस विभाग के सम्बन्धित जिले के कार्यालयों को ऑनलाईन फारवर्ड करें। इसके अभाव में अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं का ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन किया जाना संभव नहीं होगा तथा छात्राओं को स्कूटी/ प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाईन प्रोत्साहन योजना के पोर्टल पर शिक्षण संस्थान प्रदर्शित नहीं होगा।
2. योजना में जिनके माता—पिता या अभिभावक आयकरदाता नहीं हो, उनके परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
3. ऑनलाईन आवेदन करने वाली छात्राओं को आवेदन को ऑनलाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज़/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा जैसे— भामाशाह कार्ड, आधार नम्बर मय मोबाईल नम्बर, मूल निवास प्रमाण—पत्र एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज़ को स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। जैसे— आय की घोषणा, 10 व 12 वी की अंक तालिका, गत अन्तिम परीक्षा की अंकतालिका, आदि।
4. आय का घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही बनाकर मूल ही स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। माता—पिता के जीवित नहीं होने की स्थिति में अभिभावक का प्रमाण—पत्र व विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जायेगी। माता—पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय—प्रमाण स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
5. छात्रा की आधारभूत सूचनाएँ जैसे— नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
6. छात्रा की प्रोत्साहन राशि भामाशाह कार्ड में अंकित छात्रा के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में छात्रा के नाम के सामने छात्रा का बैंक खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि

छात्रा अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरित करवाना चाहता है, तो छात्रा को भासाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।

7. छात्रा को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि छात्रा द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए छात्रा संघ जिम्मेदार होगा।
8. छात्रा को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम सात दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि छात्रा सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

योजना में पेपरलेस ऑनलाईन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं छात्राओं के लिए विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने की उक्त दिनांक के पश्चात् आवेदन करने की समयावृद्धि में अभिवृद्धि नहीं की जायेगी।


(शिवांगी संघर्णकार) IAS

आयुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक:—एफ.3(ए)(37)शिक्षा / सीटीएडी / 19-20 / ३८५८० - ५३८

दिनांक ११/१०/१९

प्रतिलिपि – सूचनार्थ ।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

प्रतिलिपि— सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,।
2. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शहबाद (बांरा)।
3. अतिरिक्त आयुक्त, तृतीय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. परि. अधि., टीएसी वनपुर/ डूंगरपुर/ बांसवाडा/ प्रतापगढ़/ आबूरोड।
5. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/ भरतपुर/ बीकानेर/ जौधपुर/ पाली/ कोटा/ अजमेर।
6. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/ भरतपुर/ बीकानेर/ जौधपुर/ कोटा/ अजमेर।
7. जिला उत्तम्प्रबोधिकारी उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का पुरे राजस्थान में प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।




आयुक्त

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / लेखा / डी-२ / २८०१३ / १९-२०

दिनांक: 24.01.2020

: विज्ञप्ति (छात्रा स्कूटी हेतु आवेदन पत्र) : :

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा काली वाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की मेधावी छात्राओं) के अन्तर्गत जिन छात्राओं के परिवार की वित्तीय वर्ष 2018-19 में सकल कुल वार्षिक आय राशि रूपये 2,50,000/- से कम हो तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान- अजमेर द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2018-19 की (सरकारी/निजी) कक्षा-10, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, वाणिज्य, विज्ञान) व वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा परिणाम में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो, पात्र छात्राओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ आमंत्रित किये जाते हैं। विवरण निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप व दिशा निर्देश	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व स्थान
1	कार्यालय, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय व विभागीय वैबसाईट www.education.rajasthan.gov.in / www.rjrm.sa.nic.in पर निःशुल्क उपलब्ध है।	पात्र छात्रा द्वारा दिनांक 08.02.2020 (शाला समय) तक सम्बन्धित विद्यालय (सरकारी/निजी) जहां से परीक्षा उत्तीर्ण की है। आवेदन पत्र जमा कराना है। सम्बन्धित शाला प्रधान (सरकारी/निजी) प्राप्त आवेदन पत्रों को दिनांक 10.02.2020 (कार्यालय समय) तक सम्बन्धित जिशिअ (मा०) मुख्यालय में जमा करायें।

आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/अभिभावक योजना से संबंधित दिशा निर्देशों, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भांती अध्ययन कर ही आवेदन करें।

उक्त योजना की क्रियान्विति राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नवीनतम दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन के अध्यधीन होगी जिसमें विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब्रह्मप्रदत्त शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / लेखा / भी-२ / २८०१३ / १९-२०

दिनांक: २५. ०१. २०२०

समर्पण जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक मुख्यालय

विषय:- काली बाई भील मेधावी छात्रा रकूटी गोजनान्तर्गत रकूल शिक्षा विभाग (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछळा वर्ग (EBC)) की मेधावी छात्राओं को रकूटी वितरण करने के सम्बन्ध में छात्राओंकी सूची तैयार करते समय निम्नांकित विन्दुओं की अधारश: पालना करें :-

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सेल है कि काली बाई भील मेधावी छात्रा रकूटी गोजनान्तर्गत रकूल शिक्षा विभाग (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछळा वर्ग (EBC)) की मेधावी छात्राओं को रकूटी वितरण करने के सम्बन्ध में छात्राओंकी सूची तैयार करते समय निम्नांकित विन्दुओं की अधारश: पालना करें :-

1. राज्य सरकार के पत्र दिनांक 25.05.2018 (प्रति सालग्न) द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये।
2. काली बाई भील मेधावी छात्रा रकूटी गोजनान्तर्गत रकूल शिक्षा विभाग (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछळा वर्ग (EBC)) की मेधावी छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा योर्ड, राजस्थान-अजगर द्वारा राजकीय एवं निजी विद्यालयों के तहत सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछळा वर्ग (EBC) मेधावी छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50 लाख से कम हो को कक्षा 10 वीं, 12 वीं की विज्ञान, वाणिज्य व कला परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रथम 190-190 छात्राओं एवं प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को क्रमशः 04 व 12 रकूटियां प्राप्तांकों के घटते हुए रूप में क्रमानुसार वितरित की जानी है।
3. रकूटी वितरण करने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्र संलग्न कर आपके विमारीय गोल आई.डी. पर भिजवा दिया गया है।
4. आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञाप्ति की प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर घर्स्या करने हेतु भिजवाई जा रही है।
5. आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु जिला स्तर / ब्लॉक स्तर पर भी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस नोट अपने स्तर से भी जारी करें साथ ही जिले के समर्पण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/राजकीय/निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को इस सम्बन्ध में पाबन्द करें कि पात्र मेधावी छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक जमा करवावें ताकि कोई भी मेधावी छात्रा रकूटी के लाभ से वंचित न रहे।
6. जिले के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों द्वारा माध्यमिक शिक्षा योर्ड, अजगर शैक्षिक सत्र 2018-19 में कक्षा-10 वीं, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य) एवं वरिष्ठ उपाध्याय में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली सामान्य वर्ग (आर्थिक पिछळा वर्ग) की पात्र मेधावी छात्राओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में मेधावी छात्रा से प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
7. जिला शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विद्यालय (राजकीय/निजी) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर जांच कर्मटी का गठन किया जायेगा जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, कर्मटी अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठतम लेखाधिकारी (लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार) कर्मटी के सदस्य होंगे।
8. जिला स्तरीय कर्मटी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर प्रत्येक छात्रा का अभिशंषा पत्र प्रपत्र 'A' एवं कक्षावार समेकित सूची प्रपत्र 'B' तैयार कर व्यक्तिगत रूप से निदेशालय में दिनांक 10.02.2020 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र अंकित करें कि उक्त सूची के अलावा अन्य कोई पात्र छात्रा वंचित नहीं है।
9. उक्त योजना की क्रियान्वित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नवीनतम दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन के अध्यधीन होगी, जिसमें विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

आप द्वारा समय पर सूचना नहीं भिजवाये जाने की स्थिति में फर्म को कार्य आदेश जारी करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब होगा तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा। मेधावी छात्राओं के आवेदन पत्र भय दस्तावेजों के आप अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

.....2.....

आवेदन पत्र की प्रति एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश विभागीय वैबसाइट www.education.rajasthan.gov.in / www.rajrmsa.nic.in पर अपलोड करवा दी गई है।

- संलग्न:- 1.राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश
 2.आवेदन पत्र की छाया प्रति
 3.आवेदन पत्रों हेतु जारी विज्ञाप्ति की छाया प्रति
 4.प्रत्येक पात्र छात्रा का अभिशंषा पत्र (प्रपत्र-अ)
 5.कक्षावार पात्र छात्राओं की सूची (प्रपत्र-ब)

वित्तीय सलाहकार
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

प्रतिलिपि :-

- 1 निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान-जयपुर को भेजकर लेख है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शोक्षणिक सत्र 2018-19 में प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय हेतु पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र समबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने हेतु अपने अधीनस्थ को पाबन्द करें।
- 2 समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, परिक्षेत्र को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को समय पर आवेदन पत्र निदेशालय में प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द करते हुए उक्त कार्य की मोनिटरिंग अपने स्तर से करें।

वित्तीय सलाहकार
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

**आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु
स्कूटी वितरण योजना के दिशा-गिर्दश**

1-योजना का नाम :-

2- योजना :-

आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण योजना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम के तहत दसवीं एवं बारहवीं की विज्ञान, वाणिज्य, कला परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रथम 200-200 छात्राओं को वरीयतानुसार रकूटी तथा प्रशस्ति पत्र दिये जायेगे।

3- पात्रता :-

- i. छात्रा आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/विशेष पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) से होनी चाहिए।
- ii. छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय समत्त रत्नों से 250000/- (दो लाख पचास हजार रु) से कम हो।
- iii. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर दी दसवीं, बारहवीं की विज्ञान, वाणिज्य, कला, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा ही पात्र होगी।
- iv. अन्तिम वरीयता अंक पर एक से अधिक छात्रा होने की स्थिति में क्रमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी में अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा पात्र होगी। यदि इन दोनों विषयों में भी अंक समान होते हैं तो अधिक उम्र वाली छात्रा पात्र होगी।
- v. माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 के अन्तर्गत पात्र छात्राएँ जिन्होंने एकमुश्त 15000/- रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है, तो छात्राएँ बजट घोषणा 155.0.0 तथा वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 में से किसी एक योजना के चयन का विकल्प दे सकेंगी।
- vi. यदि छात्रा को अन्य किसी योजना में स्कूटी का लाभ दिया जा रहा है, वे छात्राएँ भी योजनान्तर्गत पात्र नहीं होंगी।
- vii. योजनान्तर्गत पात्र छात्रा को अन्य योजनाओं में प्रदत्त लाभ भी योजनान्तर्गत पात्र छात्रा को अन्य योजनाओं में पात्र होने पर (यथा-साईकिल/ट्रांसपोर्ट वाउचर एवं लैपटॉप आदि योजनाओं में पात्र होने पर) देय होगा।
- viii. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं, बारहवीं एवं प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में घोषित परिणाम में वरीयतानुसार स्थान प्राप्त करने वाले पात्र छात्राओं की संख्या निम्नानुसार होंगी :-

(अ) कक्षा दसवीं की पात्र छात्राएँ :

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	छात्राओं की संख्या
1	माध्यमिक परीक्षा	196
2	प्रवेशिका परीक्षा	04
	कुल	200

(ब) कक्षा बारहवीं की पात्र छात्राएँ :

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	छात्राओं की संख्या
1	विज्ञान संबंधी के	196
2	वाणिज्य संबंधी के	196
3	कला संबंधी के	196
4	वरिष्ठ उपाध्याय	12
	कुल	600

4- देय लाभ :-

- i. योजना के तहत वरीयता सूची में आने वाली समर्त पात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे।
- ii. स्कूटी का रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा बसूल किये जाने वाले एक बार (One Time) के शुल्क का दहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

5-पात्र छात्राओं की चयन प्रक्रिया :-

- i. प्रत्येक परीक्षा/सर्वर्ग श्रेणी में वितरित की जानी वाली स्कूटियों की संख्या के आधार पर आदश्यकतानुसार छात्राओं वी सूची राजरशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की जायेगी।
- ii. इन छात्राओं से स्कूटी हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे, छात्राओं द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्ति कर समस्त वांछित दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र संबंधित संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया जायेगा।
- iii. छात्राओं द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों को संबंधित संस्था प्रधान द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जाँच कर आवेदन पत्रों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम को जमा कराये जायेंगे।
- iv. आवेदन पत्र के साथ छात्रा द्वारा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित पति संलग्न की जायेगी।
- v. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम द्वारा जिलों में पात्र छात्राओं की सूची वरीयतानुसार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भिजाई जायेगी।
- vi. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा पात्र छात्राओं में से वरीयतानुसार अन्तिम सूची तैयार की जायेगी।

7-स्कूटी क्रय एवं वितरण :-

- i. राज्य स्तर पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर एवं जिला स्तर पर स्कूटी वितरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे।
- ii. राज्य सरकार द्वारा गठित क्रय समिति की सिफारिशों के आधार पर लंब की कार्यवाही निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा की जायेगी।
- iii. जिले की पात्र छात्राओं को स्कूटी एवं प्रशस्ती पत्र वितरण की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम के माध्यम से की जायेगी।
- iv. स्कूटी आपूर्ति हेतु चयनित एजेन्सी द्वारा स्कूटी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निर्देशानुसार जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम को उपलब्ध करवायी जायेगी।
- v. स्कूटी प्राप्ति से वितरण तक स्कूटी की सुरक्षा हेतु संबंधित नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- vi. संबंधित नोडल अधिकारी पात्रता सुनिश्चित कर वास्तविक छात्रा को ही स्कूटी वितरित कर प्राप्ति रसीद राज्य नोडल अधिकारी उपलब्ध करवायी जायेगी।

8—भुगतान की प्रक्रिया एवं पर्यवेक्षण :-

- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा वीकानेर द्वारा रकूटी आपूर्ति हेतु चयनित एजेन्सी को नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा वीकानेर द्वारा वितरण प्रक्रिया का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जावेगा।

9—समारोह आयोजन समिति का गठन:-

आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग की पात्र चयनित मेधावी छात्राओं को निःशुल्क रकूटी का वितरण जिला स्तरीय समारोह में किया जावेगा। प्रत्येक जिला स्तरीय समारोह के आयोजन पर अधिकतम 10,000 रुपये व्यय किये जा सकते हैं। उक्त राशि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा देय होगी। समारोह स्थल का निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा। जिला स्तरीय रकूटी वितरण समारोह स्थल की सुरक्षा, छात्राओं/अभिभावकों/उपस्थित नागरिकों के बैठने एवं जल की मात्राल स्वावर्था करने हेतु नियमानुसार समिति का गठन किया जावेगा:-

क्र० सं०	अधिकारी का पद नाम	समिति में पद
1	जिला कलबटर	अध्यक्ष
2	जिला कलबटर द्वारा मनोनीत 01 प्रशासनिक अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलबटर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से नीचे का स्तर का न हो)	सदस्य
3	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम	सदस्य
4	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-द्वितीय	सदस्य
5.	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम	सदस्य-सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (सरकारी/निजी विद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक वर्ष 2018-19 की कक्षा-10, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, वाणिज्य, विज्ञान) व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं हेतु

:: आवेदन पत्र ::

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 08.02.2020 स्थान:- विद्यालय जहां से सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है।

1. छात्रा का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्मतिथि.....
(सैकण्डी प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित

शाला-प्रधान
द्वारा छात्रा की
सत्यापित फोटो
मय सील

- जिला..... राज्य.....
फोन (एस.टी.डी. कोड)..... फोन नं0..... मोबाइल नं0.....
4. मूल निवास स्थान.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
 5. जन आधार/आधार कार्ड नं0/(स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
 6. सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की
(स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
 7. माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक का व्यवसाय.....
 8. छात्र के माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक की वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल वार्षिक आय
(आय प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा सकल वार्षिक आय राशि रूपये 2,50,000/- से कम हो।)
 9. क्या छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत एकमुश्त राशि रूपये 15000/- एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है। यदि नहीं तो काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त करने हेतु स्व हस्ताक्षरित शपथ-पत्र संलग्न करें।
 10. परीक्षा से सम्बन्धित विवरण : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा

कक्षा/संकाय का नाम	परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	राजकीय/निजी विद्यालय का नाम (जहां अध्ययन किया गया)
कक्षा-10	2018-19			.
प्रवेशिका	2018-19			
कक्षा-12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य)	2018-19			
वरिष्ठ उपाध्याय	2018-19			

11- छात्रा द्वारा वितरित स्कूटी के रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क को एक बार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।

12- प्रमाण-पत्र : (छात्रा का नाम) प्रमाणित करती हूँ कि विन्दु संख्या 01 से 11 में अंकित की गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतः सही व सत्य हैं। यदि प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना/तथ्य असत्य पाये गये तो मैं स्कूटी की लागत राशि वापिस राजकोष में जमा करवाने का वचन देती हूँ।
दिनांक

छात्रा के हस्ताक्षर

संलग्नक :

क्रम संख्या	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	हाँ/नहीं अंकित करें
1	उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण-पत्र व अंक तालिका की स्व-प्रमाणित प्रति	
2	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
3	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
4	जन आधार कार्ड/आधार-कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति	
5	सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की स्व-प्रमाणित प्रति	
6	सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में (समस्त चौतों) राशि रूपये 2,50,000 से कम वार्षिक आय के सम्बन्ध में छात्रा के माता-पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक की आय के आधार पर जारी आय-प्रमाण पत्र।	
7	छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं करने वाले स्व-प्रमाणित शपथ पत्र	
8	छात्रा द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी अन्य घोषणा के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त नहीं करने के अन्तर्गत स्व-प्रमाणित शपथ पत्र	
9	छात्रा को गत वर्षों में राज्य सरकार की किसी योजना में स्कूटी प्राप्त हुई है तो उसके बारे में रिपोर्ट हाँ/ना	

छात्रा के हस्ताक्षर

(राजकीय व निजी विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा..... पुत्री..... ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में शाला के अभिलेख अनुसार कक्ष..... में अध्ययनरत रहकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल प्राप्तांक..... प्रतिशत अंक..... प्राप्त किये हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)
को प्रस्तुत करने की दिनांक

हस्ताक्षर शाला/संस्था प्रधान
मय सील

(प्रपत्र-अ)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय).....
काली बाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC)की मेघावी
छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (सरकारी / निजी विद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक वर्ष 2018-19 की कक्षा-10, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, वाणिज्य, विज्ञान) व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पात्र छात्राओं को कमेटी द्वारा स्कूटी दिये जाने का कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय..... का अभिशंखा प्रपत्र

1. छात्रा का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्मतिथि.....
(सैकण्ड्री परीक्षा प्रमाण-पत्र के आधार पर)
4. जाति.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर)
5. निवास का पता.....
जिला..... राज्य.....
फोन (एस.टी.डी. कोड)..... फोन नं..... मोबाइल नं.....
6. मूल निवास स्थान.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर)
7. जन आधार कार्ड/आधार कार्ड नं/ E.I.D. No. (आधार कार्ड की प्रति के आधार पर).....
8. सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) स्व-प्रमाणित प्रति
9. माता/पिता/पति/अभिवादक/संरक्षक का व्यवसाय.....
10. छात्र के माता/पिता/पति/अभिवादक/संरक्षक की वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल वार्षिक आय
(मूल आय प्रमाण-पत्र के आधार पर सकल वार्षिक आय राशि रुपये 2,50,000/- से कम हो)
- 11- वया छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत एकमुश्त राशि रुपये 15000/- एवं प्रशासित पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है । उक्त विकल्प नहीं देने की स्थिति में काली बाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त करने हेतु स्व हस्ताक्षरित शपथ-पत्र के आधार पर ।
- 12- परीक्षा से सम्बन्धित विवरण : (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर) अंक तालिका के आधार पर

कक्षा/स्कूल का नाम	परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	राजकीय/निजी विद्यालय का नाम (जहां अध्ययन किया गया)
कक्षा-10	2018-19			
प्रवेशिका	2018-19			
कक्षा-12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य)	2018-19			
वरिष्ठ उपाध्याय	2018-19			

- 13- जिले की समस्त पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त कर अभिशंखा कर दी गई है, जिले में कोई पात्र छात्रा शेष नहीं है ।
- 14- छात्रा को गत वर्षों में राज्य सरकार कि किसी योजना में स्कूटी प्राप्त हुई है अथवा नहीं ? इस संबंध में हाँ/ नां में रिपोर्ट करें ।
- 15- प्रमाण-पत्र : जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा बिन्दु संख्या 01 से 14 में अंकित की गई समस्त सूचनाएं पूर्णतः सही व सत्य है एवं मेघावी छात्राओं का निर्धारित आवेदन पत्र व सम्बन्धित दस्तावेज (प्रमाण-पत्र) कार्यालय में सुरक्षित रख लिये गये हैं । कमेटी मेघावी छात्रा को निशुल्क रकूटी दिये जाने की अभिशंखा करती है ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक
मुख्यालय.....

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी,
कार्यालय जिला शिक्षा
अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय.....

वरिष्ठतम लेखाकर्ता,
कार्यालय जिला शिक्षा
अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय.....

(प्रपत्र-ब)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय).....
काली बाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC)की मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (सरकारी/निजी विद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक वर्ष 2018-19 की कक्षा-10, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, वाणिज्य, विज्ञान) व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पात्र छात्राओं को कमेटी द्वारा स्कूटी दिये जाने का कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय का अभिशंषा प्रपत्र

क्रम सं	छात्रा का नाम	पिता का नाम	मोबाइल नं०	विद्यालय का नाम	रोल नं०	कुल अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत	सामान्य जाति का प्रमाण पत्र	250000 रुपये से कम आय होने का सक्षम अधिकारी का सर्टिफिकेट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि स्कूटी हेतु पात्रता सूची में उन्हीं सामान्य वर्ग की मेघावी छात्राओं को सम्मिलित किया गया है, जो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1 (11) शिक्षा-1/2017 / जयपुर दिनांक 25.05.2018 के अनुसार पात्रता रखती है ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि पात्रता सूची में वर्णित छात्राओं द्वारा किसी अन्य योजनाओं में स्कूटी हेतु आवेदन नहीं किया गया है ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा को गत वर्षों में राज्य सरकार की किसी योजना में स्कूटी प्राप्त हुई/ नहीं हुई ? अंकित करें ।
4. पात्र मेघावी छात्राओं से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, छात्रा द्वारा अन्य योजना में स्कूटी प्राप्त न करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ।
5. प्रमाणित किया जाता है कि पात्रता सूची में वर्णित छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राशि 15000/- की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गई है ।
6. प्रमाणित किया जाता है कि जिले की कक्षा..... की समस्त पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालयों से प्राप्त कर कमेटी द्वारा जांच कर ली गई है । कोई भी पात्र छात्रा आवेदन पत्र से वंचित नहीं है ।

कमेटी के सदस्यों द्वारा समस्त आवेदन पत्रों की जांच राज्य सरकार के निर्देशों के तहत पात्रता की भली भांति जांच कर उक्त छात्राओं को स्कूटी हेतु पात्रता की अनुशंषा करती है:-

जिला शिक्षा अधिकारी,
 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक
 मुख्यालय.....

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी,
 कार्यालय जिला शिक्षा
 अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय.....

वरिष्ठतम लेखाकर्मी,
 कार्यालय जिला शिक्षा
 अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय.....